IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान

श्रीमती नीलम
सहायक प्राध्यापिका
राजनीति विज्ञान विभाग
हिंदू कन्या महाविद्यालय
जींद (हरियाणा)

शोध आलेख सार

डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है जो महार के अछुत जाति परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन उनके लिए इस चरम पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वह एक महान शिक्षक, वक्ता दार्शनिक नेता बन गए और इस तरह के कई अधिक पुरस्कार अर्जित किए। चूंकि अंबेडकर जी एक अछूत जाति से थे इसलिए उन्हें पता था कि जब लोग अपने किसी गलती के बिना आपके साथ भेदभाव करते हैं तो कैसा महसूस होता है। उन्होंने भारत में ऐसे सामाजिक मुद्दों को हटाने में महान काम किया। अछूतों का उत्थान करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा उनकी तरफ से पहला संगठित प्रयास था। वह उन्हें बेहतर जीवन के लिए शिक्षित करना चाहते थे। जो समाज में समानता लाने के लिए थे उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में चुना गया। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी भूमिका से भारत के लिए संविधान लिखा गया। अंबेडकर जी वास्तव में एक दलित नेता की बजाए राष्ट्रीय निर्माता और वैश्विक नेता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत भी दिए थे। अंबेडकर जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत निर्माण इसके शुरुआती दिनों में किया था। वह भारत को मुक्त कराने के लिए लड़े और फिर अपने सपनों का भारत लाने की कोशिश की। इस महान व्यक्ति को याद रखने के लिए देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है खासकर उन लोगों द्वारा जो उनका अनुसरण करते हैं। आज भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने के लिए उनके जैसे महान नेताओं की जरूरत है।

मुख्य शब्द: संविधान, योगदान, अस्पृश्यता, समानता, शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, वर्ण व्यवस्था, शिक्षा।

परिचय

भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्यप्रदेश के महू में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों जैसे - छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इस दौरान बाबासाहेब गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार व सिद्धांत भारतीय राजनीति के लिए हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं, वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे, जिसमें राज्य सभी को समान राजनीतिक अवसर दें और धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। वे कहते थे कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने असली रूप को नहीं पा सकेगी। जब तक सामाजिक जनतंत्र स्थापित नहीं होता है तब तक सामाजिक चेतना का विकास संभव नहीं हो पाता है। उनकी जनतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना में "नैतिकता" और "सामाजिकता" दो मुख्य मूल्य रहे हैं, जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा था-

"मैं ऐसे धर्म को मानता हूं, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए।"

डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है –

1 भारत के संविधान निर्माता के रूप में योगदान

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता और भारत और 'आधुनिक भारत का मनु' होने का गौरव प्राप्त है। उनकी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में समिति का अध्यक्ष बनाया था। तत्कालीन संविधान सभा में अनेकों योग्य व क्षमतावान सदस्यों में से डॉक्टर अंबेडकर का मसौदा समिति का सदस्य चुना जाना अपने आप में एक गौरव की बात है। उनकी मसौदा समिति में यद्यपि 7-8 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो कि संविधान निर्माण के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों की रिपोर्ट आदि का अध्ययन करते और उसे प्रारूप संविधान में शामिल करने का कार्य करते थे। प्रत्येक विषय पर डॉक्टर अंबेडकर व अन्य सदस्यों में अच्छी खासी बहस होती थी, परंतु डॉक्टर अंबेडकर जिस विषय पर अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट करते थे उसके संबंध में काफ़ी तर्क प्रस्तुत करते थे। नवंबर, 1948 में जब मसौदा संविधान, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसमें 315 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां शामिल थी। इसके पश्चात सदन में लंबी बहस चली थी। संविधान की प्रत्येक धारा अथवा अनुच्छेद पर बारीकी से विचार-विमर्श किया गया। डॉक्टर अंबेडकर

संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रश्नों का तर्कपूर्ण ढंग से उत्तर देते थे जिसे कि वह स्वीकार कर लेते थे। अंतिम रूप में संविधान को तैयार कर करके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कड़े श्रम के पश्चात 26 नवंबर, 1949 को संविधान को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

2 अछूतों के उत्थान संबंधी कार्य

भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में डॉ अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली निर्योग्यताओं को सहन किया और एक कर्मयोगी के रूप में इस समस्या पर विचार किया; इसका निराकरण करने का संकल्प लिया और इसका उन्मूलन करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया । वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने अस्पृश्य समाज पर होने वाले अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की। उन्होंने अस्पृश्यों में आत्म-सम्मान और स्वावलंबन उत्पन्न करने के लिए उन्हें 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' का तीन- सूत्री मंत्र दिया। उन्होंने अस्पृश्य जातियों के बीच सहयोग और एकता की भावना पैदा करने के लिए प्रयास किए उन्होंने अस्पृश्य महिलाओं को दुर्गुणों से दूर रहने का परामर्श दिया। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में उन्होंने अस्पृश्यता का अंत किया; इसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध किया और इससे उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया। उन्होंने भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुत्व का मंत्र दिया।

संक्षेप में, अंबेडकर ने अपने प्रयासों से अस्पृश्यों को राष्ट्र की मुख्य धारा का अभिन्न अंग बनाया।

3 महिला अधिकारों के अग्रदूत

डॉ अंबेडकर सामाजिक और आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं में पैतृक संपत्ति में बराबर का बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। डॉक्टर अंबेडकर प्रायः कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास करा कर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूं। हिंदू कोड पर विचार होने वाले दिनों में उन्होंने पतियों द्वारा छोड़ दी गई अनेक युवतियों और प्रौढ महिलाओं को देखा। उनके पतियों ने उनकी जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र का पांच-छः रुपए मासिक गुजारा बांधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता पिता या भाई बंधु के साथ रो-रोकर जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ लोगों के विरोध की वजह से हिंदू कोड बिल का समय संसद में पारित नहीं हो सका। लेकिन बाद में अलग-अलग भागों में जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून और हिंदू गुजारा एवं गोद लेने संबंधी कानून के रूप में अलग-अलग नामों से पारित हुआ जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए।

4 मानव अधिकारों के रक्षक

डॉक्टर अंबेडकर एक विख्यात राजनेता, विधिवेत्ता एवं संविधान के ज्ञाता थे। वह राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन और सामाजिक शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय- व्यवहार के लिए कानून के शासन को महत्व देते थे। उनका मानना है कि कानून समानता और स्वाधीनता का रक्षक होता है, यह सरकार, समाज और राष्ट्र की समूची कार्यकारिणी को नियंत्रित करता है और यह सभी को सीमाओं में बांधता है कानून के संबंध में अंबेडकर की धारणा है कि इसे केवल दंड देकर ही लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि शिक्षा और सामाजिक भावना के आधार पर भी लागू किया जाना चाहिए।

5 संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन

डॉ भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र की शासन प्रणाली के कट्टर समर्थक थे। यद्यपि प्रारंभ में उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया था, परंतु कुछ समय के टपश्चात वह संसदीय शासन प्रणाली के प्रबल समर्थक बन गए थे। उनका विचार था कि भारत की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में हमें भारत में ब्रिटेन के समान ही संसदीय शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए परंतु उसमें कुछ बदलाव के साथ उसे अपनाना होगा। उन्होंने भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था से संबंधित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था जबकि ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था से संबंधित संसदीय प्रणाली विद्यमान थी। इस तरह भारत में संघीय व्यवस्था को संसदीय रूप में डालकर अपने लिए अपनाया था।

6 समाजवादी समाज की स्थापना

अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान उन्होंने समाजवादी विचारधारा का गहन अध्ययन किया था। वह समाजवाद को एक ऐसी शक्ति मानते थे जो लोगों को दबाव और शोषण से बचा सकती थी। वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था के लिए समाजवाद को उपयोगी मानते थे। इसके बिना देश की स्वतंत्रता का सही मायने में लाभ नहीं उठाया जा सकता है। सामाजिक एकता और आर्थिक समृद्धि के बिना जनतंत्र का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है, जनतंत्र की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, जो लोग समाजवादी आदर्शों तथा मूल्यों के विरुद्ध है उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आनी चाहिए और यदि लोगों को शासन मिल जाएगा तो समाजवाद संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में लोगों को शोषण, अन्याय आदि से सुरक्षा नहीं मिल सकती है। वह समाजवाद को एक ऐसा प्रभाव कारी शक्ति मानते हैं जो लोगों को दबाव और शोषण से बचा सकती थी। वह राज्य के उत्पादन व वितरण के साधनों का समाज में समान वितरण करना चाहते थे। उनके यह विचार डॉक्टर बी आर अंबेडकर को समाजवाद के नजदीक ले जाते हैं।

7 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन

डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जोरदार समर्थन किया था। उनके द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन करने का मुख्य कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना था। उनका विचार था कि न्यायपालिका को विधान पालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि वह न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित न कर सके। स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी दबाव में निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करती है तो इसके कारण जनसाधारण में न्यायपालिका के प्रति सम्मान बढ़ता है स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए, अधिकारों की रक्षा आदि के लिए वे न्यायपालिका को आवश्यक मानते ।

8 शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन

डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्राचीन इतिहास और उसकी कमजोरियों से परिचित थे। उनका विचार था कि जब-जब भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है भारत तब तब किसी न किसी विदेशी शक्ति का गुलाम अवश्य बना है। इसलिए वह स्वतंत्र भारत के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन करते हैं। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार ही भारत की एकता और अखंडता को बनाए रख सकती है। डॉ आंबेडकर दलितों और अल्पसंख्यकों के मसीहा थे। उनका विचार था कि समाज के शोषित बिछड़े हुए दलित समाज तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हित अभी सुरक्षित रह सकते हैं यदि केंद्रीय सरकार काफी मजबूत हो। यद्यपि वह शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का समर्थन अपने विचारों में करते हैं, परंतु वह केंद्र को असीमित शक्तियां नहीं सौंपते हैं। उनका विचार है कि केंद्र की शक्तियों पर न्यायपालिका और विधान पालिका के नियंत्रण को स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि केंद्र निरंकुश ना बन जाए।

9 तटस्थ नौकरशाही का समर्थन

डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक विचारों में तटस्थ नौकरशाही का समर्थन किया है। तटस्थ नौकरशाही से हमारा अभिप्राय ऐसी नौकरशाही से है जो कि बिना दबाव में निष्पक्ष होकर अपनी कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करती है। सरकारें अथवा मंत्री आते और जाते रहें, परंतु प्रशासन को चलाना इनका कार्य होता है डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि जब नौकरशाही तटस्थ होकर कार्य करेगी तो उससे सामाजिक, आर्थिक विकास की आशा अधिक की जाएगी। यदि नौकरशाही को वचनबद्ध बनाया गया अथवा उसके कार्यों में कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा तो नौकरशाही कार्यपालिका के हाथों की कठपुतली के समान कार्य करती है। ऐसी नौकरशाही से हम सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की आशा नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने तटस्थ नौकरशाही की आवश्यकता पर बल दिया था।

10 जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार

डॉ अंबेडकर आधुनिक भारत के एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथों में न केवल अस्पृश्यों के उद्गम का विवेचन किया है बल्कि जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को देश और हिंदू धर्म के पतन का कारण माना है। उनके मतानुसार हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था अस्पृश्यता के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए अस्पृश्यता के निवारण के लिए जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन अनिवार्य है। उनकी धारणा है कि जाति की संस्था का नाश ही समानता को सुनिश्चित कर सकता है उन्होंने जाति- उन्मूलन के लिए कई सुझाव भी दिए हैं जैसे- (1) वर्ण व्यवस्था (2) अंतरजातीय विवाह एवं (3)पुरोहिताई का लोकतंत्रीकरण।

11 शिक्षा का प्रसार

डॉ आंबेडकर उच्च कोटि के शिक्षा शिक्षाविद थे, अतः उन्होंने दलित वर्ग की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने दलित वर्ग को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देने और दलित वर्ग को उच्च शिक्षा हेतु वी विदेशों में भेजने का समर्थन किया। उन्होंने स्वयं भी दलितों की शिक्षा के लिए योगदान दिया। उन्होंने 1945 में जनता शिक्षा समाज नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था ने दलितों की शिक्षण हेतु अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की।

निष्कर्ष

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में माना जाता है तथा वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।बचपन में छुआछूत शिकार होने के कारण उनके जीवन का अधिकांश समय संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। भारतीय संविधान निर्माण में भी उनका अहम योगदान है उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। उनके चिंतन का क्षेत्र मुख्यतः सामाजिक न्याय की समस्या थी इसीलिए स्वभाविक है उन्होंने मूलतः इसी दृष्टि से राजनीतिक विषयों पर विचार किया था। वह अपने सार्वजनिक जीवन में दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलवाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने राजनीति में भाग लिया था तथा अपनी विभिन्न पुस्तकों तथा लेखों आदि में विचार दिए थे उन्हें हम उनके राजनीतिक विचार मानकर उसका अध्ययन करते हैं यह उनके भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान है उनके भारतीय संविधान में दिए गए योगदान के कारण उन्हें "आधुनिक मनु" होने का गौरव प्राप्त है। संविधान में निहित सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर ही नहीं अपितु मौलिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्ष राज्य, केंद्र राज्य संबंधी शक्तिशाली केंद्र की स्थापना आदि विभिन्न व्यवस्थाओं के निर्माण में अंबेडकर के व्यक्तित्व का प्रभाव दिखता है। भारत रत्न से अलंकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अथक योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, धन्य है वह भारत भूमि जिसने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया।

संदर्भ सूचि

1. आधुनिक राजनीतिक चिंतन (राजबीर सिंह)

2. भारतीय राजनीतिक विचारक (डॉक्टर आदित्य वीर)

3. इंडियन पॉलीटिकल थिंकर्स (डॉ एस.एस. नंदा एंड वी.के. पुरी)

4. भारतीय राजनीतिक विचारक (डॉ जगदीप सिंह)

5. प्रतियोगिता दर्पण (प्रियतांशु शर्मा)